यालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 40/2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2022/30

श्रीमती जसोदा पत्नी बद्रीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. निर्मल पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती जसोदा पत्नी बद्रीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासी बोराखेडी तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
3. भगवतीलाल पुत्र नानुराम जाति ब्राह्मण 45 वर्ष निवासी बोराखेडी तहसील निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रार्थीगण

//बनाम//

1. मोहनलाल पिता पोखरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मु0 कला पत्नी पुष्करलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।
4. उपपंजियक, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश मेनारिया – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

::निर्णय:: दिनांकः– 04.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में उपरोक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है जो ठोस आधारों पर आधारित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। वाके मौजा बोराखेडी पटवार हल्का बड़ौलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 131 की आराजी नम्बर 753 रकबा 0.7200 हैक्टेयर लगानी 13.68 रूपये, आराजी नम्बर 846 रकबा 0.9500 हैक्टेयर लगानी 18.05 रूपये कुल किता–2 कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर कुल लगानी 31.73 रूपये स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 130 की आराजी नम्बर 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर लगानी 4.20 रूपये, आराजी [illegible] हैक्टेयर लगानी 3.61 रूपये, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.4900 हैक्टेयर लगानी 9.[illegible] आराजी नम्बर 283 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गे0मु0 खड्डा, आराजी नम्बर 470 [illegible] हैक्टेयर लगानी 7.13 रूपये, आराजी नम्बर 657 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, लगानी [illegible] रूपये, आराजी नम्बर 658 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, लगानी 7.9[illegible] रकबा 0.3300 [illegible] लगानी 6.27 रूपये कुल किता–8 [illegible] कुल लगानी 41.5[illegible] स्थित है। पुष्टि में नकल जमाबन्दीयां प्रस्तुत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested

2. उपरोक्त वर्णित खाता संख्या 131 की आराजियात में प्रार्थीया जसोदा का 1/6 हिस्सा, निर्मल का 1/6 हिस्सा, भगवतीलाल का 1/8 हिस्सा तथा विपक्षी मोहनलाल का 1/2 हिस्सा तथा कला का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, इसी प्रकार खाता संख्या 130 की आराजियात में प्रार्थीया जसोदा का 1/8 हिस्सा, निर्मल का 1/8 हिस्सा, भगवतीलाल का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी मोहनलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

3. प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित आराजियात पर अपने दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु आराजियात शामलाती खातेदारी में दर्ज है तथा विधिवत तौर से नपती करके बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से मौके पर काबिज अनुसार आराजियात की विधिवत नपती करा कर आराजियात का विधिवत बंटवारा कराने एवं अलग अलग खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण संख्या 1 व 2 टालचाल कर रहे है और बिना बंटवारा कराये ही जमीन खुर्द बुर्द कर दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण उक्त आराजियात का बंटवारा मौके पर काबिज हक हिस्से अनुसार करा कर विधिवत नपती करा कर खाता संख्या 131 की आराजियात में प्रार्थीया जसोदा का 1/16 हिस्सा, निर्मल का 1/16 हिस्सा, भगवतीलाल का 1/8 हिस्सा तथा विपक्षी मोहनलाल का 1/2 हिस्सा तथा कला का 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 130 की आराजियात में प्रार्थीया जसोदा का 1/8 हिस्सा, निर्मल का 1/8 हिस्सा, भगवतीलाल का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी मोहनलाल का 1/2 हिस्सा जरिये बंटवारा अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है तथा रकबा व लगान का विभाजन कराना चाहते है। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा कराये बिना एवं अलग अलग खातेदारी में आराजियात दर्ज कराये बिना ही आराजी के विशेष कीमती भू-भाग को जरिये रहन, बय बक्षीश व अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण कर दस्तावेजों का पंजीयन करा कर मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा हैं एवं प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हो रहे है।

4. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराई जावें कि कि मूल वाद के अंतिम निर्णय तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाये कि विपक्षी सं० 1 व 2 प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात का जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाए और अलग अलग खातेदारी में जमीन दर्ज नहीं हो जाए तब तक आराजीयात के विशेष किमती भू भाग को जरिये रहन, बय, बक्षीश व अन्य तोर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करायें तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन विपक्षी सं0 4 के समक्ष नहीं कराए और विपक्षी सं03 से मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे न करावे तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की आराजीयात पर शाति पूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करने देवे, उसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अन्य किसी से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो ।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब प्रार्थना में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपा कर गलत दावा पेश किया है जो आगे चल कर निश्चित रूप से खारीज होगा ऐसी पुरी सम्भावना है।खाता संख्या 131 में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा व निर्मल का 1/16 हिस्सा व भगवतीलाल का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है परन्तु विपक्षीगणों को जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है विपक्षीगण शाति पूर्ण रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है प्रार्थीगणों का अकेले का कब्जा होना स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण विवादित भूमि को कब्जा हटाने का अधिकारी नहीं है क्योकि यह जमीन मांगीलाल पिता किशनलाल [illegible] नहीं होने के कारण उनके वारिस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से उन[illegible] बह[illegible]थी बाई सीता तथा जशोदा पुत्री किशनलाल जिसकी मृत्यु हो [illegible] सोहनलाल उनके वारिस है व मांगीलाल के मरने के [illegible] विवाहिता पत्नि नहीं है बल्कि जगदीश पिता गोतमलाल की विवा[illegible] उसकी विवाह विच्छेद भी नही हुआ है इसलिये उक्त आराजीयात की खातेदार एवं [illegible]कार नहीं है और बटवारा कराने की भी अधिकारी नहीं है प्रार्थीगण मांगीलाल पिता किशनलाल की मुल खातेदार की उत्तराधिकारीणी नहीं है इस बाबत एक मुकदमा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिश निम्बाहेडा क्रमांक 2 में जेरकार है प्रार्थीगणों का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण रिकोडेड कोटेनेन्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारीत नहीं है प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन व अपुर्णिय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में है इसलिये प्रार्थी विपक्षी कोटेनेन्ट के खिलाफ किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारीणी नहीं है।

6. विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा विशेष कथन में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया कमांक 1. जसोदा, बद्रीलाल पिता नानूराम की विवाहिता पत्नी नहीं है बल्कि जगदीश पिता गोतमलाल ब्राहम्ण निवासी महुडा की विवाहिता पत्नी है इसलिये प्रार्थीया बद्रीलाल की गलत तोर पर पत्नी बन कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। मुल खातेदार मांगीलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण के कोई पुत्र पुत्री नहीं होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के सेडयुल 2 के अनुसार उसकी बहन वारीस बनती है और उसकी बहने बोथी, सीता मृतक जसोदाबाई के वारिसान सोहनलाल भी मांगीलाल की सम्पति के वैध उत्तराधिकारी है इसलिये प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसी कृषि भूमि के बाबत् एक प्रकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिश क्रमांक 2 निम्बाहेडा में जेरकार है जिसके प्रकरण संख्या 17/19 सी. ओ. है जिसमें आगामी पेशी 20/07/2022 को नियत है इस प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगणों को होते हुए भी इस प्रार्थना पत्र को पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण विवादित भूमि के रिकोडेड कोटेनेन्ट है और प्रार्थीगण रिकोडेड कोटेनेन्ट के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा इसी कृषि भूमि के बाबत् एक प्रकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिश क्रमांक 2 निम्बाहेडा में जेरकार है जिसके प्रकरण संख्या 17/19 सी. ओ. है जिसमें आगामी पेशी 20/07/2022 को नियत है इस प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगणों को होते हुए भी इस प्रार्थना पत्र को पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण विवादित भूमि के रिकोडेड कोटेनेन्ट है और प्रार्थीगण रिकोडेड कोटेनेन्ट के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

8. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को सहखातेदार होने से किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

सहायक कलक्टर

!! सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी भूमि हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 28.02.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है कि मौजा बोरखेडी पटवार हल्का बडोलीमाधोसिंह की खाता संख्या 131 की आराजी नम्बर 753 रकबा 0.7200 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 846 रकबा 0.9500 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 130 की आराजी नम्बर 211 रकबा 0.1000 हैक्टेयर लगानी 4.20 रूपये, आराजी नम्बर 247 रकबा 0.1900 हैक्टेयर लगानी 3.61 रूपये, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.4900 हैक्टेयर लगानी 9.31 रूपये, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गे0मु0 खड्डा, आराजी नम्बर 470 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 657 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 658 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 664 रकबा 0.3300 हैक्टेयर कुल किता–8 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.02.2022 जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त की जाती हैं, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested